**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 204**

**01 दिसंबर, 2015 को उत्तर के लिए**

**ओ. आर. ओ. पी. की अधिसूचना**

**204. श्री नीरज शेखर :**

**श्री प्रभात झा :**

**श्रीमती शशिकला पुष्पा :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं के लिए एक रैंक एक पेंशन (ओ. आर. ओ. पी.) को अधिसूचित कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ओ. आर. ओ. पी. के दोषपूर्ण क्रियान्वयन को लेकर कार्मिकों में असंतोष है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कई भूतपूर्व सैनिकों ने शिथिल की गई ओ. आर. ओ. पी. अधिसूचना के विरोध में अपने मैडल वापस कर दिए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह)**

(क) से (घ) : सरकार ने एक रैंक-एक पेंशन (ओ. आर. ओ. पी.) के क्रियान्वयन संबंधी आदेश 07.11.2015 को जारी कर दिए हैं ।

कुछ भूतपर्वू सैनिक संघ पेंशन के निर्धारण, इसकी पुनरीक्षा की अवधि, भविष्य के पीएमआर मामलों के कवरेज आदि के तौर-तरीकों में बदलाव के लिए मांग करते रहे हैं ।

सरकार ने एक रैंक-एक पेंशन के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले, अनियमितताएं, यदि कोई हो तो, को देखने के लिए एक न्यायिक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है ।

**\*\*\*\*\***